फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री ललित पुत्र श्री घेवरचन्द सोनी
निवासी 108, सिपाहियों का वास
भैरूघाट, पाली मारवाड
जिला पाली।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 07 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.03.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 29.10.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना में जिला सिरोही से शहरी रोजगार सहायक(नोन टी.एस.पी. क्षेत्र में) दिव्यांग श्रैणी के कितने पद आरक्षित है एवं दिव्यांग श्रैणी से कितने आवेदकों का चयन हुआ है, उनके नाम, स्नातक की प्रतिशत एवं जन्म दिनांक से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 29.10.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना में जिला सिरोही से शहरी रोजगार सहायक(नोन टी.एस.पी. क्षेत्र में) दिव्यांग श्रैणी के कितने पद आरक्षित है एवं दिव्यांग श्रैणी से कितने आवेदकों का चयन हुआ है, उनके नाम, स्नातक की प्रतिशत एवं जन्म दिनांक से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त सूचना से सम्बन्धित पूर्व में अपील प्रस्तुत की गई, जो अपील संख्या 81/2022 पर दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 28.12.2022 को निर्णय सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति अपीलांट को जरिए पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/1209—1210 दिनांक 30.12.2022 के द्वारा उपलब्ध करवाए जाने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा पुनः अपील [illegible] प्रतीत नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारि[illegible] जा[illegible] है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शु[illegible] (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:17:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner